फर्द अहकाम

शंकरलाल बनाम अजहरुद्दीन वगैरा

म न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

स संख्या 05/2022

म संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		मिसल पेश हुई। पैरोकार सरकार ने अपनी रिपोर्ट पेश करवाते बताया कि वादग्रस्त आराजीयात का प्रयोजनार्थ मौका निरीक्षण किया गया। अप्रार्थीगण अजहरुद्दीन वगै० के प्रतिनिधि द्वारा ख०नं० 777 के लगते हुए ख०नं० 776,779 से लगती हुई रोड से रास्ते की मांग की गई। यह रास्ता पूर्व पत्र क्रमांक-209 दि० 8/4/24 द्वारा प्रस्तावित रास्ते से बेहतर लगता है। पूर्व में प्रस्तावित रास्ता ख०नं० 816 तक पहुंचने के लिये सबसे निकटतम है। वकील उभय पक्षान की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 R.T. Act को स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली कैसल शुमार होकर नाजर के जरिये बाद पूर्ति होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	26/04/24	पत्रावली आज तहसीलदार जमवारामगढ़ (पैरोकार सरकार) द्वारा अपने प्रस्ताव	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जगवारीगढ़
शंकरलाल बनाम अजहरुद्दीन व अन्य
मु० नं०: 05/2022

आर०पी०/24/136 दिनांक 20/4/24 पेश करने पर पत्रावली तलब की गई। पत्र में तहसीलदार (जैतोकार सरकार) ने निवेदन किया कि न्याया० द्वारा के प्रकरण मु० नं० 05/22 उनवान शंकरलाल बनाम अजहरुद्दीन व अन्य में स्वयं के पत्रांक: रीडर/210 दि० 08/04/2024 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में आराजी खसरा नं० 777 की डी.एल.सी. मद्देनजर से 14,83,148/- रुपये के स्थान पर 24,71,882/- रुपये अंकित हो गई जो गलत है। जिसको दुरुस्ती योग्य है। नई डी.एल.सी. की गणना से रास्ते की भूमि की कुल मालियत 2,63,259/- रुपये बनते हैं। जिसकी दोगुनी राशि लगभग 5,26,520/- रुपये बनती है। अतः उक्त पत्र को स्वीकार कर माननीय न्याया० के निर्णय दिनांक 15/04/2024 में आराजी ख० नं० 777 की डी.एल.सी. राशि 24,71,882/- रुपये के स्थान पर 14,83,148/- रुपये कर रास्ते की अत भूमि राशि की दोगुना राशि 5,26,520/- रुपये दुरुस्त करने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा जैतोकार सरकार की बयान का मनन किया गया। अतः न्याया० द्वारा के निर्णय दिनांक 15/04/24 में आराजी ख० नं० 777 की डी.एल.सी. राशि 14,83,148/- रुपये अनुसार रास्ते की कुल मालियत राशि की दोगुना राशि 5,26,520/- रुपये जादौ से वसूल कर निर्णयानुसार अप्रार्थी नं 1 व 2 को हिस्सेनुसार दिलवाये जाने के आदेश तहसीलदार जगवारीगढ़ को दिये जाते हैं। शेष निर्णय यथावत रहेगा।

पत्रावली प्रार्थी/इन्द्राज बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी

(1/3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं0	दायर दिनांक	फैसला दिनांक
05 / 2022	12 / 01 / 2022	15 / 04 / 2024

– उनवान –

शंकर लाल जलवानिया पुत्र भूराराम जलवानिया आयु 50 साल जाति बैरवा निवासी मकान नं0 282, तीरूपति बालाजी नगर जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

अजहरूदीन खान पुत्र फकरूदीन
इकरामुद्दीन पुत्र भाउद्दीन
समस्त आयु वयस्क निवासी ग्राम ताला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।
राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक
श्री रमाशंकर शर्मा – वकील प्रार्थी।
श्री रामकरण शर्मा – वकील अप्रार्थी सं0 1
श्री पुष्पेन्द्र शर्मा – वकील अप्रार्थी सं0 2

प्रार्थनापत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 251–ए राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

–:निर्णय :–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री रमाशंकर शर्मा के प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी काश्त की भूमि ग्राम ताला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में खसरा नम्बर 816 रकबा 1.6900 हैक्टेयर सम्पूर्ण स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है जिस पर प्रार्थी साधिकार काबिज होकर काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 777 रकबा 1.2600 हैक्टेयर से होते हुये प्रार्थी के खातेदारी काश्त की भूमि खसरा नम्बर 816 स्थित ग्राम ताला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में पश्चिम से पूर्व की ओर कदीमी से आते–जाते रहे है तथा उक्त कदमी रास्ते के पश्चिम दिशा की और आने–जाने का आम रास्ता है जो राजस्व रिकार्ड नक्शें में अंकित है। जिसका उपयोग उपभोग भी प्रार्थी करने को स्वतंत्र है। उक्त आम रास्ते से उपर वर्णित खसरा नम्बर 777 में से होकर कदीमी रास्ता प्रार्थी के कृषि भूमि मे जाता है। जिसको प्रार्थी लम्बे अर्से से उपयोग उपभोग करते आ रहा है। उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व नक्शे मे हरी लाईन द्वारा स्पष्टता दर्शित किया गया है किन्तु इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण प्रार्थी के आवागमन के एकमात्र रास्ते पर जबरन पुख्ता निर्माण कर बन्द करने पर आमादा हो गये जिसके संबंध में प्रार्थी ने सक्षम अधिकारीयो को सूचित किया। अतः ग्राम ताला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर मे स्थित खसरा नम्बर 777 मे से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 816 रकबा 1.6900 हैक्टेयर में आने जाने के लिये संलग्न नजरी नक्शें में हरे रंग से दर्शित रास्ते के अनुसार राजस्व नक्शें मे गैर मुमकिन रास्ता अंकित करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर जरिये रजिस्टर्ड डाक से तलब किया गया। दिनांक 21.01.22 को अप्रार्थी सं0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रामकरण शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 16.05.22 को अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 06.12.22 को जवाब पेश नही करने पर वकील अप्रार्थी स0 1 व वकील अप्रार्थी स0 2 का जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी सं0 3 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/2023/रीडर/148 दिनांक 28.03.2023 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। दिनांक 29.01.2024 को वकील अप्रार्थी सख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 बाबत आपत्ति प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट एव पक्षकार की मौजूदगी मे मगवाई जाने हेतु पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। उक्त जवाब प्रार्थना पत्र मे वकील अप्रार्थी स0 1 ने निवेदन किया कि मद सं0 2 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है आधारहीन होने से अस्वीकार है। खसरा नम्बर 777 रकबा 1.2600 हैक्टेयर मे होकर कभी भी खसरा नम्बर 816 में जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नही रहा है, न ही प्रार्थी उक्त जगह होकर आता-जाता है बल्कि वास्तविकता मे खसरा नम्बर 771 मे होकर प्रार्थी अपनी भूमि मे जाते है। प्रार्थी ने निराधार रूप से विधि के विपरीत मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज फरमाया जावें। मद सख्या 4 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है आधारहीन होने से अस्वीकार है। संलग्न नजरी नक्शें अनुसार प्रार्थी मिनउत्तरदाता की भूमि में होकर रास्ता लेने का अधिकारी नही है। प्रार्थी ने विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तो के विपरीत प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो खारिज फरमाया जावें तथा प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 पर भी वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

दिनांक 11.3.24 को पुनः प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 पर वकील बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 को स्वीकार किया गया तथा तहसीलदार जमवारामगढ को पत्र लिखा गया कि आपत्ति प्रार्थना पत्र की छायाप्रति पत्र के संलग्न कर भिजवाई जा रही है। प्रकरण मे आप स्वय पक्षकारान की मौजूदगी मे मौका जॉच कर रिपोर्ट पेश करे। अप्रार्थी सं0 3 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/रीडर/210 दिनांक 08.04.2024 द्वारा दिनांक 08.04.2024 को रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। पैरोकार सरकार ने अपनी रिपोर्ट में निवेदन किया कि प्रार्थी शंकरलाल जलवानिया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 816 रकबा 1.69 है0 वाके ग्राम ताला तहसील जमवारामगढ के परिधीय क्षेत्र में प्रस्तावित रास्ते अतिरिक्त अन्य कोई लघुतम/दीर्घतम रास्ता, वैकल्पिक रूप से उपलब्ध नही होना पाया गया है। प्रस्तावित रास्ते के लिये, संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 670 रकबा 47.22 हैक्टेयर गै0मु0नदी से प्रारम्भ होकर एक गै0मु0रास्ता आराजी खसरा नम्बर 825 रकबा 1.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 760 रकबा 0.90 है0 एवं 772 रकबा 0.25है0 वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 777 की पश्चिमी सीमा के सहारे-सहारे इसकी उत्तरी सीमा तक राजस्व रिकार्ड की प्रतियॉ संलग्न है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 777 की दक्षिणी सीमा पर पश्चिमी साईड में एक सिचाई हेतु पानी का पाईप स्थापित किया हुआ है, उक्त भूमि मौके पर सिंचित है तथा वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 01 का 3/4 हिस्सा, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अचरोल के पक्ष में रहन दर्ज है। खसरा नम्बर 777 की दक्षिणी सीमा के सहारे-सहारे, खसरा नम्बर 816 हेतु रास्ता कायम किये जाने मे सिचाई हेतु स्थापित पानी की पाईप लाईन के अलावा अन्य कोई बाधा पुख्ता निर्माण इत्यादि मौके पर मौजूद नही है। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 777 एवं इसे दक्षिण में अवस्थित संस्पर्शी खसरा नम्बर 771 मे से आनुपातिक रूप में दिये जाने का निवेदन किया गया है, परन्तु खसरा नम्बर 771 के राजस्व रिकार्ड में माननीय न्यायालय स्थगन एवं भूमि माफी पीर से प्रभावित होने संबंधी नोट अंकित है। त्वरित सन्दर्भ हेतु जमाबन्दी की प्रति संलग्न है। प्रार्थी द्वारा केवल रास्ते की मांग की गई है। न्यूनतम 04 मीटर चौडाई का रास्ता दिये जाने का सामान्यतः प्रावधान है, इस हेतु खसरा नम्बर 777 में से पश्चिम से पूर्व की ओर 194 मीटर लम्बाई X 04 मीटर चौडाई का रास्ता कायम किया जाने पर कुल भूमि 776 वर्गमीटर होती है तथा 9.15 मीटर (30 फीट) चौडा रास्ता कायम किये जाने की स्थिति में कुल भूमि 1775 वर्ग मीटर होती है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डीएलसी दर 2471882/- रूपये प्रति हैक्टेयर है, जिसके अनुसार रास्ता की भूमियों की कुल कीमत कमशः 191818/- रूपये (776 वर्ग मीटर भूमि के) व 438759/-रूपये (1775 वर्ग मीटर) होती है।

वकील अप्रार्थी सं0 1 ने दिनांक 08.04.2024 को एक प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 पेश कर निदेवन किया कि प्रकरण में आज दिनांक 08.04.2024 को तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट पेश न कर उप तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त हुई है। प्रार्थी की अनुपस्थिति में रिपोर्ट बनाई गई है जिसकी नकल प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा अवलोकन कर रिपोर्ट पर आपत्ति पेश की जा रही है। अतः प्रकरण में आपत्ति रिपोर्ट हेतु अवसर प्रदान किये जाने की कृपा करें। उक्त प्रार्थना पत्र 151 को शामिल मिसल किया गया तथा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 को स्वीकार किया गया एवं तहसीलदार जमवारामगढ को पुनः दोनों रास्तों का परीक्षण कर साथ ही तीनों खातेदारों को मौका स्थल पर बुलवाया जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखा गया।

तहसीलदार जमवारामगढ ने अपने पत्रांक/भू0अ0/2024/1249 दिनांक 15.04.24 द्वारा पुनः रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रकरण में वादग्रस्त आराजीयात का विषयांकित प्रयोजनार्थ मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की उपस्थिति मे मौका देखा गया। अप्रार्थीगण अजरूदीन वगै0 के प्रतिनिधि द्वारा खसरा नम्बर 777 के लगते हुये खसरा नम्बर 776, 779 से लगती हुई मेड से रास्ते की मांग की गई है। यह रास्ता पूर्व में पत्र कमांक/रास्ता/251ए/2024/209 दिनांक 08.04.2024 द्वारा प्रस्तावित रास्ते से थोडा लम्बा है। पूर्व में प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 816 तक पहुच के लिये सबसे निकटतम है।

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

बहस उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 51 ए आर0टी0एक्ट, जवाब अप्रार्थी सं0 1, पैरोकार सरकार का जवाब/रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजात का ावलोकन करने व वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ़ को आदेश द्ये जाते हैं कि ग्राम ताला, पटवार हल्का ताला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित प्रार्थी की ृषि भूमि ख0 नं0 816 में कृषि कार्य हेतु आने—जाने के लिए रास्ता खसरा नम्बर 777 में से पश्चिम से पूर्व ी ओर 194 मीटर लम्बाई X 9.15 मीटर चौडाई अर्थात कुल 1775 वर्गमीटर भूमि को गैर मुमकिन रास्ता सेवाय चक बिला लगानी) के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर अमल करे एवं संलग्न नजरी नक्शे ानुसार राजस्व नक्शें में तरमीम करे, रास्ते की भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 से कुल राशि 38759/—रूपये की दोगुना राशि अप्रार्थी सं0 1 व 2 को दिलवाई जाने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 1 व 2 के ाजस्व नक्शे मे नजरी नक्शे अनुसार किस्म गै.मु. रास्ता कायम किया जावें। नक्शा दुरूस्त कर प्रार्थना पत्र े साथ संलग्न नजरी नक्शें में पीले रंग से दर्शित स्थान पर रास्ता कायम करने के आदेश तहसीलदार ुमवारामगढ को दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार ोकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 15.04.2024 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

नोट!- पत्रावली के आदेश दिनांक 26/04/2024 अनुसार निर्णय दिनांक 15/04/2024 के पेरा नं. 3/3 में प्रथम पैराग्राफ के लाईन नं. 10 में राशि 4,38,759/- के स्थान पर 2,63,259/- रुपये पढ़ा व समझा जावे।

26/4/24
उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़